राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-14

राज्य के विभिन्न कोटि के अस्पतालों में संविदा के आधार पर पारा मेडिकल के विभिन्न पदों पर नियुक्ति/पैनल निर्माण करने हेतु आवेदन आमंत्रण

राज्य के विभिन्न कोटि के अस्पतालों में निम्नलिखित पारा मेडिकल के स्वीकृत पदों के विरूद्ध संविदा के आधार पर संभावित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु पैनल निर्माण करने के उद्देश्य से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सुयोग्य उम्मीदवारों से इस विज्ञापन के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र आमंत्रित करती है –

क्र0	पद का नाम	योग्यता/अर्हत्ता	एकमुश्त मानदेय (प्रतिमाह)
1.	**प्रयोगशाला प्रावैधिकी**	(1) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थानों से इंटरमीडिएट (भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रयोगशाला प्रावैधिक के डिप्लोमा कोर्स में उत्तीर्णता।	13,000
2.	**शल्य कक्ष सहायक**	(1) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थानों से इंटरमीडिएट (भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) डिप्लोमा इन ओ० टी० असिस्टेंट।	12,700
3.	**एक्स–रे टेक्निशियन**	(1) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थानों से इंटरमीडिएट (भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोथेरापी कोर्स में उत्तीर्ण।	13,000
4.	**परिधापक (ड्रेसर)**	(1) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थानों से इंटरमीडिएट (भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) एक वर्षीय C.M.D में डिप्लोमा।	10,500
5.	**फार्मासिस्ट**	(1) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थानों से इंटरमीडिएट (भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट।	12,700
6.	**लाईबेरियन**	(1) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक (मान्यता प्राप्त संस्थान) बैचलर इन लाईबेरियन साईंस एवं 05 वर्षों का अनुभव।	15,000
7.	**सहायक लाईबेरियन**	(1) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक (मान्यता प्राप्त संस्थान) बैचलर इन लाईबेरियन साईंस एवं 05 वर्षों का अनुभव।	9,000
8.	**स्पीच थेरापीस्ट कम औडियोलॉजिस्ट**	(1) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थानों से इंटरमीडिएट (विज्ञान) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) डिप्लोमा कोर्स।	16,000

सामान्य निर्देश

1. सभी पदो के लिए न्यूनतम आयु–सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु–सीमा 65 वर्ष (दिनांक 01.12.2013 तक) होगी।
2. नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। संतोषजनक कार्य मूल्यांकन उपरांत संविदा को अगले 3 वर्षों के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग, बिहार कभी भी विधिसम्मत तरीके से संविदा समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। इस संविदागत नियोजन के आलोक में किसी भी तरह का Regularization, readjustment अथवा re-employment स्वीकृत/मान्य नहीं होगा।
3. बिहार सरकार के नियमानुसार आरक्षण रोस्टर लागु होगा।
4. **इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाईट www.statehealthsocietybihar.org के HR Cell के लिंक पर ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे।** दूसरे माध्यम से समर्पित आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. आवेदकों को आवेदन शुल्क (Non-refundable) के रूप में रू0 500/– (सामान्य), रू0 300/– (अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग) एवं रू0 200/– (अनुसूचित जाति/जनजाति) के लिए देय होगा जिसका भुगतान ऑनलाईन किया जा सकेगा। ऑनलाईन भुगतान के अतिरिक्त बैंक ड्राफ्ट से भी भुगतान किया जा सकता है।

6. कोई आवेदन बिना आवेदन शुल्क के स्वीकार नही किये जायेंगे।
7. मूल बैंक ड्राफ्ट (आवेदन शुल्क) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा ''राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार'' पटना के पक्ष में देय होगा।
8. आवेदन के साथ राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाईट से डाउनलोडेड **Affidavit** को भरकर एवं नोटराईज्ड कर मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने के फलस्वरूप आवेदन शुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट (ऑनलाईन भुगतान होने पर नहीं), Affidavit एवं Bar Coded Acknowledgement Card (सफलतापूर्वक निबंधन होने के पश्चात् निकाले गये Print out) की हार्ड कॉपी मूल प्रति में कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना–14 के पते पर, बंद लिफाफे में स्पीड/निबंधित डाक के माध्यम से दिनांक **16/12/2013** के अपराह्न 5 बजे तक या उससे पूर्व निश्चित रूप से पहुँच जाना चाहिए। **आवेदित पद का नाम लिफाफे के उपर अवश्य लिखा होना चाहिए।**
10. स्वास्थ्य विभाग, बिहार किसी एक पद अथवा उपरोक्त सभी पदों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
11. पैनल का निर्माण अभ्यर्थी के 10वीं, 12वीं एवं तकनीकी योग्यता में प्राप्त कुल प्राप्तांक के क्रमशः 35%, 40% एवं 25% (कुल 100%) के आधार पर किया जाएगा।
12. पैनल निर्माण उपरांत अंतिम चयन संबंधित संस्थान के द्वारा साक्षात्कार के द्वारा अभ्यर्थियों के कार्यकुशलता के जाँच उपरांत ही किया जाएगा।

कार्यपालक निदेशक